



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 भाद्र, 1943 (श०)

संख्या-458 राँची, मंगलवार,

7 सितम्बर, 2021 (ई०)

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

संकल्प

6 सितम्बर, 2021

विषय: टोक्यो ओलम्पिक गेम्स में सेमीफाइनल तक पहुँचकर देश एवं राज्य को गौरवान्वित करने वाली भारतीय महिला हाँकी टीम में शामिल राज्य की खिलाड़ियों सुश्री निक्की प्रधान एवं सुश्री सलीमा टेटे को पुरस्कार राशि एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में ।

संचिका संख्या: 01/खेल-12-04/21/क 03-- टोक्यो, जापान में आयोजित ओलम्पिक खेल, 2020 में महिला हाँकी प्रतियोगिता में पहली बार सेमीफाइनल तक पहुँचकर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला हाँकी टीम में राज्य की 02 बेटियाँ सुश्री निक्की प्रधान एवं सुश्री सलीमा टेटे शामिल हैं। भारतीय महिला हाँकी टीम ने भारतीय महिला हाँकी के इतिहास में पहली बार ओलम्पिक खेलों के सेमीफाइनल तक पहुँचकर देश एवं राज्य को गौरवान्वित किया है तथा देश की अन्य लड़कियों को भी प्रेरित करने का कार्य किया है ।

2. राज्य में हाँकी की अन्य बालिका खिलाड़ियों एवं अन्य खेलों के खिलाड़ियों को भी सुश्री निक्की प्रधान एवं सुश्री सलीमा टेटे के प्रदर्शन से प्रेरणा मिले एवं वे भी भविष्य में उच्चतम स्तर पर हाँकी अथवा अन्य खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने हेतु प्रोत्साहित हों, इसके लिए विशेष रूप से उक्त दोनों खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ।

3. झारखण्ड राज्य में खेलों के लिए उत्साहजनक वातावरण तैयार करने एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु खिलाड़ियों एवं उनके प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभागीय संकल्प संख्या-215 दिनांक 30.11.2015 सहपठित जापांक-979 दिनांक 30.11.2015 द्वारा ओलम्पिक खेलों सहित विभिन्न राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय

खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले एवं प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को सम्मान राशि से पुरस्कृत करने संबंधी निर्णय निर्गत है, जिसमें ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक के लिए 02 (दो) करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए 01 (एक) करोड़ रुपये, कांस्य पदक के लिए 75 (पचहत्तर) लाख रुपये एवं भागीदारी के लिए खिलाड़ियों को 05 (पाँच) लाख रुपये की पुरस्कार राशि दिये जाने का प्रावधान है, लेकिन उक्त संकल्प में यदि कोई खिलाड़ी व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में ओलम्पिक में भाग लेने के साथ-साथ प्रतियोगिता में चौथा या पाँचवाँ स्थान प्राप्त करता है, तो उसको विशिष्ट रूप से पुरस्कृत किये जाने का प्रावधान नहीं है तथा उसको भी भागीदारी के लिए दी जाने वाली पुरस्कार राशि ही दिये जाने का प्रावधान है, जो व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है।

4. अतः टोक्यो, जापान में आयोजित ओलम्पिक खेल, 2020 में महिला हाँकी प्रतियोगिता में पहली बार सेमीफाइनल तक पहुँचकर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला हाँकी टीम में शामिल राज्य की दोनों खिलाड़ियों सुश्री निक्की प्रधान एवं सुश्री सलीमा टेटे को उपरोक्त वर्णित विभागीय संकल्प के प्रावधानों के इतर विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाना उचित प्रतीत होता है जिससे राज्य में हाँकी की अन्य बालिका खिलाड़ियों एवं अन्य खेलों के खिलाड़ियों को भी सुश्री निक्की प्रधान एवं सुश्री सलीमा टेटे के प्रदर्शन से प्रेरणा मिले एवं वे भी भविष्य में उच्चतम स्तर पर हाँकी अथवा अन्य खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने हेतु प्रोत्साहित हों।
5. टोक्यो ओलम्पिक खेलों में सेमीफाइनलिस्ट महिला हाँकी टीम में शामिल राज्य की दोनों खिलाड़ियों को 50—50 (पचास—पचास) लाख रुपये की पुरस्कार राशि देने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।
6. उक्त दोनों खिलाड़ियों के पारिवारिक भूमि पर बने वर्तमान मकान को 3000 (तीन हजार) वर्गफीट तक के पक्के मकान में उन्नयन कराने अथवा इन्हें 3000 (तीन हजार) वर्गफीट तक के एक नये पक्के मकान का संबंधित जिले के उपायुक्त के द्वारा निर्माण करा कर उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
7. उक्त दोनों खिलाड़ियों को लगभग 1,00,000/— (एक लाख) रुपये की अनुमानित लागत की एक-एक स्कूटी, लगभग 75,000/— (पचहत्तर हजार) रुपये की अनुमानित लागत का एक-एक लैपटाप एवं लगभग 50,000/— (पचास हजार) रुपये की अनुमानित लागत का एक-एक स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
8. उक्त कण्डिका 5, 7 एवं 8 में वर्णित प्रस्ताव यथा पुरस्कार राशि एवं वर्तमान मकान के उन्नयन अथवा नये मकान का निर्माण तथा स्कूटी, लैपटाप एवं स्मार्टफोन उपलब्ध कराने पर होने वाला व्यय राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष — 2204 — खेलकूद तथा युवा सेवाएँ — खेलकूद — उप शीर्ष — 27 — खिलाड़ी कल्याण कोष/ छात्रवृत्ति/सम्मान/पूर्व खिलाड़ी पेंशन/बीमा — विस्तृत शीर्ष — 06 — अनुदान — 50 — छात्रवृत्ति/वजीफा इकाई मद से विकलनीय होगा।
9. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-(अस्पष्ट),

सरकार के सचिव।
